

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म.प्र.)

आदेश

18 AUG 2023

क्र. 742 / तीन-3-1/20

उज्जैन दिनांक2023

श्री अश्वाक् अहमद खान, विशेष न्यायाधीश, उज्जैन दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश क्र. 73/तीन-3-1/2020 दिनांक 20.01.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए न्यायिक जिला स्थापना उज्जैन एवं तहसील स्थापना से प्राप्त अनुपयोगी फर्नीचर को मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता नियम-141 (म.प्र.वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग-1 2012) के नियम 4.4 (1) मरम्मत के अयोग्य हेतु अनुपयोगी सामग्री का अपलेखन मूल्य निर्धारित करने व नीलामी संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

- 1-श्री सुनिल कुमार, अध्यक्ष विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, उज्जैन।
- 2-श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, सदस्य एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन।
- 3-श्री वीरेन्द्र जोशी, सदस्य, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन।
- 4-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी) उज्जैन।

and

(आर.के.वाणी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म०प्र०

पृष्ठांकन क्र. 8004 / तीन-3-1/20

उज्जैन दिनांक2023

प्रतिलिपि:-1-श्री सुनिल कुमार, विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटीज, उज्जैन।

21 AUG 2023

- 2-श्री राजेन्द्र सिंह सिंगार, सदस्य एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन।
 - 3-श्री वीरेन्द्र जोशी, नवम् व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन।
 - 4-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं यांत्रिकी) उज्जैन।
 - 5-प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, उज्जैन/खाचरौद/नागदा/बड़नगर/ तराना/महिदपुर।
 - 6-प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन।
 - 7-सिस्टम ऑफिसर/लेखापाल/समस्त लेखापाल, /जिला नाजिर, उज्जैन।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, म०प्र०

and